

संख्या 20/8/2006-5 विद्युत.—शुद्ध, हरियाणा के राज्यपाल की सलुति हो गई है कि नीचे विधि में वर्णित भूमि, संरक्षक द्वारा, अंशतः सार्वजनिक स्वाम्य अंशतः भारत सरकार द्वारा प्रबंध बोर्ड के तहत पर, सार्वजनिक उपयोग अर्थात् 220 कि.वी. वाट, बलसम्पन्न-सामगुर-कावरी लाईन द्वारा संख्या 537 की सुरक्षा हेतु अर्पित है, जिसके लिए भूमि अर्पण अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के अंतर्गत हरियाणा सरकार, विद्युत विभाग, अविद्युत संख्या 20/8/2006-5 विद्युत, दिनांक 27 नवम्बर, 2006 को प्रस्तुत की गई है, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विधि में वर्णित भूमि कर्तव्य उपयोग के लिए अर्पित है।

अविद्युत भूमि अर्पण अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के प्रवचनों के अंतर्गत सभी परिस्थितियों की जांचकर्ता के लिए की जाती है, जिसका द्वारा संशोधन है।

भूमि के पत्तों पर विधिवत, भूमि अर्पण कर्ता, लोक निर्माण विभाग (विद्युत), हरियाणा, कल्याण रोड, अम्बाला शहर के कार्यालय में भिन्न जा सकता है।

विधि

जिला	खारीस	परिसेक/पौर तथा इसका संख्या	कुलफल		क्षेत्र का विवरण	
			कनाल	माला	मुल्का संख्या	खसरा संख्या
1	2	3	4	5		
फुहरीस	फुहरीस	नाम हवापुर इसका संख्या 114	0	16	20	15/2 मिन

अंतर्गत अंशतः,

विद्युत/का एन प्रथम सचिव, हरियाणा सरकार,

विद्युत विभाग।